फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

बाबूराम बनाम उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण

केस संख्या : 11 /2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
16.01.2024	दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 290/2023 एवं दावा संख्या 289/2023 ब–उनवानी बाबूराम बनाम शंकरलाल में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 08.02.2024 को पेश हो। ह० जिला कलक्टर जयपुर	
8-02-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप० है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मुक्ता राव R.A.S. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मुक्ता राव R.A.S. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रा० पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो ह० जिला कलक्टर जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner